फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

वादीगण | **प्रतिवादीगण**

लालीदेवी वगैरह **बनाम** **उप तहसीलदार लूणवां**

जाति–जाट, मोतीराम कीढाणी सिरसी (लूणवां) **तहसील नावां**

किस्म प्रकरण : 88, 53 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 361 / 2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
18.12.2024	वादी की ओर से यह वाद अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा ने अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पक्षकारान् ने प्रकरण हाजा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य में राजीनामा हो जाने उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान् ने राजीनामा में बताया कि पक्षकारान् मध्य में आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है तथा माफिक राजीनामा / बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पक्षकारान / अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण पक्षकारान ने सामलाती खातेदारी की भूमि में वर्णित हिस्सा अनुसार ही भू–विभाजन तथा वादीनी की हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि का बंटवारा करते हुये अलग से की घोषणा खातेदारी की जाने की इस्तदुआ वादपत्र में चाही गई है। वादीगण व प्रतिवादीगण सहखातेदार है तथा राजीनामे के अनुसार ही वादपत्र को डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। पक्षकारान की हक हिस्से, एवं सामलाती खातेदार की भूमि ग्राम लूणवां पटवार लूणवां भू.अ. क्षेत्र लूणवां तहसील नावां सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या 235 खसरा नं. 903 रकबा 2.7300 हैक्टेयर तथा खसरा नं. 911 रकबा 2.6300 हैक्टेयर के रूप में अवस्थित है, जो नकल जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 खाता संख्या 235 प्रदर्श–1 से परिभाषित है। उक्त कृषि आराजीयात भूमि में मुताबिक जमाबंदी वादीनी लालीदेवी का 461 / 804 वां हिस्सा व वादीनी संख्या 2 शान्तिदेवी का 193 / 804 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 25 / 134 वां हिस्सा का दर्ज चला आ रहा है, जिस पर वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 काबित काश्त है तथा प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य में राजीनामा हो चुका है। इसलिए वादी का वाद अधीन धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत भू–विभाजन तथा घोषणा खातेदारी का स्वीकार किया जाना न्यायसंगत व उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। प्रकरण अपने नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी, नावां उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन)	तहसीलदार नावां डीडवाना–कुचामन